

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड - थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- ख्यासी
तहसील :- धनोली/नैनबाग, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

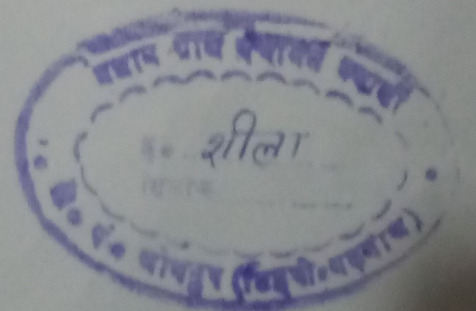
उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारी-मसरास मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 11.148 है० आरक्षित वन भूमि 1.074 है० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 12.222 है० वनभूमि का लो०नि०वि०, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ख्यासी द्वारा दिनांक ०५/०१/२०१७ को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को क्यारी-मसरास मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड - थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- मसरास
तहसील :- धनोली/नैनबाग, जिला टिहरी गढ़वाल।

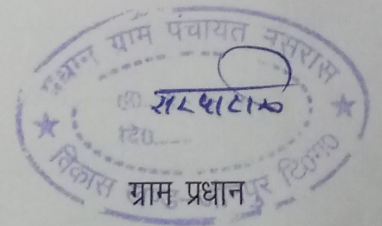
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारी-मसरास मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 11.148 है० आरक्षित वन भूमि 1.074 है० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 12.222 है० वनभूमि का लो०नि०वि०, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मसरास द्वारा दिनांक ०५/०१/२०१९ को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को क्यारी-मसरास मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

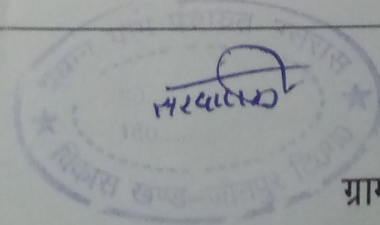


प्रपत्र - 23.1

दिनांक 05/11/19 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत - असरास

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	उमाशंकर राय	उमाशंकर राय
2	मन्मथ राय	M
3	जयन्ती प्रसाद	जयन्ती प्रसाद
4	इमाम लाल	इमाम लाल
5	विनीत प्रसाद	V
6	सोहन सिंह	S
7	रामचंद्र	R
8	कचनारी	K
9	दिगला देवी	दिगला
10	सुनिल देवी	Sunila
11	अनिला देवी	अनिला देवी
12		
13		
14		
15		
16		
17		



ह०/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड - थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- क्यारी, बिच्छू, मसरास
तहसील :- धनोल्ती/नैनबाग, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारी-मसरास मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 11.148 है० आरक्षित वन भूमि 1.074 है० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 12.222 है० वनभूमि का लो०नि०वि०, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी/मसरास द्वारा दिनांक ०५/०१/२०१९ को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को क्यारी-मसरास मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



दिनांक ०५/०१/१९ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत क्यारी

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1		
1	बलदेव सिंह पवार	3
2	रमेश सिंह पुर्वान	रमेश सिंह
3	जगन सिंह	रमेश सिंह
4	सह्ये सिंह रागाड	सह्ये सिंह
5	सरत सिंह	सरत सिंह
6	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
7	गोविंद सिंह	गोविंद सिंह
8	वचन सिंह पवार	वचन सिंह
9	सुनील पवार	सुनील पवार
10	देवान सिंह रागाड	देवान सिंह
11	वचन सिंह रागाड	वचन सिंह
12	वीरबल दास	वीरबल
13	वक्सी	वक्सी
14	सरोप सिंह चौधान	सरोप सिंह
15	सुभाष सिंह	सुभाष सिंह
16	राजेश सिंह	राजेश
17	चदभीठा सिंह	चदभीठा सिंह



ह०/-

ग्राम प्रधान